



रजिस्ट्र नं. ए० डी०-4

लाइसेन्स सं. डब्ल्यू० पी०-41

(लाइसेन्सडू पोस्ट विप्राउट प्रिंटेड)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 जुलाई, 1984

प्राषाद 16, 1906 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1471/सत्रह-वि-1-(क)-8-1984

लखनऊ, 7 जुलाई, 1984

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 4 जुलाई, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचना यह इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1984 कहा जायगा।

- उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 16
सन 1939 की
धारा 5 का
संशोधन
- 2--उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 की उपधारा (1) में,—
(क) खण्ड (क) निकाल दिया जायगा;
(ख) खण्ड (छ) में, शब्द, "पाँच सदस्य" के स्थान पर शब्द, "सात सदस्य" रख दिये जायेंगे।
- धारा 9 का
निकाला जाना
- 3--मूल अधिनियम की धारा 9 निकाल दी जायगी।
- धारा 26 का
संशोधन
- 4--मूल अधिनियम में, धारा 26 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ज) निकाल दिया जायगा।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 1471/XVII-V—1-1(Ka)-8-1984

Dated Lucknow, July 7, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Badrinath Tatha Shri Kedarnath Mandir (Sanshodhan) Adhinyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 14 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 4, 1984:

**THE UTTAR PRADESH SHRI BADRINATH AND SHRI KEDARNATH
TEMPLES (AMENDMENT) ACT, 1984**

(U. P. Act No. 14 of 1984)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

for further to amend the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples (Amendment) Act, 1984.

Amendment of
section 5 of U.P.
Act no. XVI of
1939.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1)—

(a) clause (a) shall be omitted;

(b) in clause (g) for the words, 'five members', the words 'seven members' shall be substituted.

Omission of
section 9.

3. Section 9 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of
section 26.

4. In section 26 of the principal Act, in sub-section (2), clause (h) shall be omitted.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.